

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज (अररिया)
E-mail:- ee.irrigationdivision.npg@gmail.com

पत्रांक _____/ नरपतगंज, दिनांक _____/

अति-अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०- 01/2026-27

सभी विक्रेताओं से सादर अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा कार्यालय हेतु निम्नलिखित उपस्कर का क्रय किये जाने हेतु कार्य प्रस्तावित है। उक्त क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। आप सभी विक्रेताओं से अनुरोध है कि अपना-अपना दर तालिका बंद लिफाफा में दिनांक 20.08.2026 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे तक प्रमंडलीय कार्यालय में जमा करें। न्यूनतम दरदाता का दर मान्य होगा। सक्षम प्राधिकार से दर अनुमोदित होने के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।

Sl No.	Name of Items	Qty.	Remarks
1	2	3	4
मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा का कार्यालय हेतु			
1	Computer Desktop, CPU with Key Board and Mouse	01	PC-intel core i5 13 th /14 th Gen., 16GB RAM, 512 GB Nve SSD, 23.8-24 FHDIPS, Windows 11 Pro, Wireless Key Board and Mouse
2	UPS 1000VA	01	BRAND
3	Printer	01	H.P./Canon Colour

कोटेशन की अन्य शर्तें निम्न प्रकार है:-

1. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का प्रति अदद दर सभी करें यथा GST, अन्य कर, ढुलाई भाड़ा अधिष्ठापन में लगने वाले अन्य सामग्री एवं मजदूरी सहित अंकों एवं शब्दों में अंकित करना होगा।
2. सभी सामग्रियों के लिए Brand/Model No. एवं Specification का विवरणी संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक सामग्री के वारंटी की अवधि की तिथि से एक वर्ष से कम मान्य नहीं होगा।
4. कोटेशनदाताओं का पैन कार्ड एवं GST पंजीकरण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
5. समय सीमा के बाद कोटेशन प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अधिकृत विक्रेता का अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के बाद सामग्रियों की आपूर्ति 7 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. कोटेशन में दिये गये किसी भी आईटम की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
8. सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा कार्यालय में किया जाना है, जिसका परिवहन एवं अन्य व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जाएगा।
9. किसी भी समय कोटेशन को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. कर आदि की कटौती नियमानुसार भुगतान के समय श्रोत पर की जाएगी।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र अररिया होगा।

रू |—

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज (अररिया)

पत्रांक 912 / नरपतगंज, दिनांक 08/08/2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन-संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति सॉफ्ट कॉपी के साथ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

Atty. Gen.
08/08/26
कार्यपालक अभियंता,

सिंचाई प्रमण्डल नरपतगंज (अररिया)

08/08/26